

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक: 17/2/2026

संख्या-14/निजी-902/2024-~~3324~~/सा०प्र०, श्री राहुल कुमार, बि०प्र०से० (को०क्र०-465/24), अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सीतामढ़ी को उनकी पुत्री की ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-14.02.2026 से दिनांक-15.03.2026 तक की कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त छुट्टी के उपरांत श्री कुमार के पक्ष में कुल 300-30=270 दिनों की उपार्जित छुट्टी आदेय होगी।

3. श्री राहुल कुमार को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



16/02/2026

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-902/2024-~~3324~~/सा०प्र०, पटना-15, दिनांक: 17/2/2026

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ श्री राहुल कुमार, बि०प्र०से० (को०क्र०-465/24), अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, सीतामढ़ी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-29 (बि०प्र०से० चारित्री कोषांग)/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक (I.T), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/02/2026

सरकार के उप सचिव